न्यायालय,अपर समाहर्ता, रॉंची।

विविध पुनरीक्षण वाद संख्या 04 आर 15/07–08

उदय दास वगैरह पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

श्रीपति सिंह मुण्डा प्रतिवादी

आदेश

9
7-04-2008

यह पुनरीक्षण विविध अपील संख्या 07/05–06 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार, बुण्डू द्वारा दिनांक 18.09.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। अपीलीय न्यायालय ने अंचल अधिकारी, तमाड़ द्वारा विविध वाद संख्या 01/2006 में दिनांक 27.9.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दायर अपील अस्वीकृत कर दिया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
दारुआड़ा	33	66	16 डिसमिल
		67	14 ,,
			कुल 30 डिसमिल

पुनरीक्षण आवेदन में उल्लेख किया गया है कि विवादित जमीन खतियान में रुइया मुण्डा के नाम दर्ज है। रुइया के पुत्र डोमन मुण्डा ने 1941 में पुनरीक्षणकर्ता के दादा को विवादित जमीन बिक्री किया था एवं उसी समय से अभी तक लगातार कब्जा बना हुआ है। विवादित जमीन पर मकान भी बना हुआ है। बर्ष 2005 में पुनरीक्षणकर्ता को सरकार द्वारा लाल कार्ड एवं दीनदयाल आवास आवंटित किया गया। वे दो किश्त प्राप्त भी कर चुके हैं एवं विवादित जमीन पर दीनदयाल आवास का निर्माण कार्य जारी है। ग्राम दारुआड़ा मुण्डारी खुटकट्टी गॉव है एवं प्रतिवादी मुण्डारी खुटकट्टीदार के वंशजों में से एक हैं जिन्होंने अंचल

पदाधिकारी, तमाड़ के समक्ष दीनदयाल आवास के निर्माण के विरुद्ध आवेदन दिया। अंचल अधिकारी द्वारा उभय पक्ष को सक्षम न्यायालय में जाने का निर्देश दिया गया एवं फैसले के बाद ही दीनदयाल आवास निर्माण की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने भुमि सुधार उपसमाहर्ता बुण्डू के न्यायालय में अपील दायर किया जो अस्वीकृत कर दिया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में पुनरीक्षण आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी मुण्डारी खुटकट्टी जमींदार हैं परन्तु उन्होंने पुनरीक्षणकर्ता के नाम से लगान रसीद निर्गत नहीं किया है। विवादित जमीन आदिवासी समुदाय की है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सादा पट्टा से जमीन खरीदने का दावा गलत है क्योंकि इसमें जमीन का बिक्रय मूल्य सात सौ रुपैये अंकित है जिसके लिए दस्तावेज का निबंधन आवश्यक था।

प्रस्तुत वाद में यह निर्विवाद है कि भूमि मुण्डारी खुटकट्टी है। इस भूमि पर बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के अन्तरण प्रतिबंधित है और वर्तमान मामला ऐसा ही है। वर्तमान रिविजनकर्ता उपरोक्त भूमि पर दीन दयाल आवास का निर्माण करना चाहते हैं जो गलत है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू के न्यायालय के आदेश में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतएव वर्तमान रिविजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांकः— 7.04.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0/—

अपर समाहर्ता,
रॉची।